



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-09072026-274298
CG-JH-E-09072026-274298

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948

No. 518]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनवाद, 1 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 576(अ) .—उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 141 के उप-नियम (1) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उज्वल ताह, खानों का मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जिसे खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित किया गया है, एतद्वारा बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए निर्देश एवं अभ्यास पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करता हूँ, जो इस प्रकार हैं:

दायरा: ये मानक उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 141 के उप-नियम (1) के तहत आवश्यक बचाव एवं पुनर्प्राप्ति कार्य में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए निर्देश एवं अभ्यास पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करते हैं।

प्रयोज्यता: ये मानक बचाव एवं पुनर्प्राप्ति कार्य में प्रशिक्षण के लिए चयनित प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे।

अनुपालन आवश्यकता:

निर्देश और अभ्यास का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा:-

क. निर्देश - निम्नलिखित विषयों में निर्देश:-

(i) भूमिगत आग से निपटने और आग एवं विस्फोट के बाद खदानों से सामग्री निकालने की सामान्य विधियाँ;

- (ii) उपलब्ध कराए गए श्वास यंत्र और ट्यूब यंत्रों के प्रकार, उपयोग, मरम्मत, रखरखाव और परीक्षण।
- (iii) व्यक्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए विधियों और उपकरणों का उपयोग;
- (iv) खानों में पाए जाने वाले हानिकारक और ज्वलनशील गैसों के गुणधर्म और उनकी पहचान करने की विधियाँ;
- (v) श्वसनीय वातावरण में गैस के नमूने लेना;
- (vi) खान योजनाओं को पढ़ना;
- (vii) बचाव और पुनर्प्राप्ति कार्य का संचालन;
- (viii) निर्दिष्ट उपकरणों का उपयोग करके रस्सी बचाव का संचालन;
- (ix) लिफ्टिंग बैग, हाइड्रोलिक कटर, स्प्रेडर, जैक और रिंग आरी का उपयोग;
- (x) अग्निशामक यंत्रों का उपयोग;
- xi) कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन।

ख. बचाव एवं पुनर्प्राप्ति अभ्यास। - श्वास यंत्र के साथ कम से कम दस अभ्यास। प्रत्येक अभ्यास भूमिगत अभियानों में संभावित परिस्थितियों के समान परिस्थितियों में किया जाएगा, जिनमें ऐसे यंत्रों का उपयोग आवश्यक होता है, और यह अभ्यास निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) किसी भी अभ्यास में अधिकतम आठ और न्यूनतम पाँच व्यक्ति भाग लेंगे।
- (ख) श्वास यंत्र के साथ अभ्यास सामान्य हवा में शुरू होगा और धीरे-धीरे तब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि गर्म और श्वसनहीन वातावरण में अभ्यास करना संभव न हो जाए।
- (ग) श्वास यंत्र के साथ अभ्यास में निम्नलिखित क्रियाएँ शामिल होंगी:-
 - (i) रस्सी और पुली की सहायता से 25 किलोग्राम भार को 1.8 मीटर की ऊँचाई तक बार-बार उठाना और नीचे लाना;
 - (ii) आधे घंटे तक उचित गति से लगातार चलना;
 - (iii) पत्थर, ईंट, रेत की बोरियाँ, ब्राटिस कपड़ा या अन्य सामग्री से अस्थायी अवरोध बनाना और हटाना, तथा ऐसी क्रियाओं के लिए आवश्यक सामग्री को कम से कम दस मीटर की दूरी तक ले जाना;
 - (iv) छत गिरने से हुए मलबे को हटाना;
 - (v) लकड़ी या अन्य छत के सहारे लगाना;
 - (vi) गैलरी की लंबाई के साथ 60 से 80 किलोग्राम भार वाले जीवित व्यक्ति या डमी शरीर को स्ट्रेचर पर ले जाना, खींचना या धकेलना;

सी. कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) और बचाव उपकरणों के उपयोग का अभ्यास: कम से कम दो दिन का प्रशिक्षण जिसमें कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, अग्निशामक यंत्रों का उपयोग, लिफ्टिंग बैग, हाइड्रोलिक कटर, स्प्रेडर, जैक और रिंग कटर का उपयोग शामिल होगा।

डी. रस्सी बचाव उपकरणों के उपयोग का अभ्यास: उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 131 के उप नियम (1) के तहत निर्दिष्ट उपकरणों के मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा अनुशंसित प्रशिक्षकों द्वारा रस्सी बचाव उपकरणों के उपयोग का कम से कम पाँच दिन का प्रशिक्षण।

[फा. सं. डीजीएमएस/01-6/2026/सोमा (मुख्यालय)]
उज्वल ताह, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**(Directorate General Of Mines Safety)****NOTIFICATION**

Dhanbad, the 1st July, 2026

G.S.R. 576(E).—In exercise of the powers conferred on me under sub rule (1) of rule 141 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the courses of instructions and practices for initial training in rescue and recovery work, as follows:

Scope: These standards specify the courses of instructions and practices for initial training in rescue and recovery work, as required under sub rule (1) of rule 141 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

Applicability: These standards shall be applicable to every person selected for undergoing training in rescue and recovery work.

Compliance Requirement:

The course of instructions and practices shall be as follows:-

A. Instructions. - Instructions in the following subjects:-

- (i) the general methods of dealing with fires belowground and the recovery of mines after fires and explosions;
- (ii) the construction, use, repair, maintenance and testing of the type or types of breathing apparatus and tube apparatus provided.
- (iii) the use of methods and apparatus for reviving persons;
- (iv) the properties, and the methods of detection of noxious and inflammable gases which may be found in mines;
- (v) the taking of gas samples in irrespirable atmosphere;
- (vi) the reading of mine plans;
- (vii) Conduct or rescue and recovery work.
- (viii) conduct of rope rescue using specified equipment;
- (ix) use of lifting bags, hydraulic cutters, spreaders and jacks and ring saws;
- (x) use of fire extinguishers;
- (xi) cardio pulmonary resuscitation.

B. Practices in rescue and recovery. - Not less than ten practices with breathing apparatus. The practices in each case shall be carried out under conditions devised to resemble those likely to be encountered in operations belowground and requiring the use of such apparatus and shall be carried out as follows:-

- (a) Not more than eight and not less than five persons shall take part in any practice.
- (b) The practices with breathing apparatus shall commence in ordinary air, and shall progress gradually until practices can be carried out and in hot and irrespirable atmosphere.
- (c) The practices with breathing apparatus shall comprise the following operations:-
 - (i) repeatedly raising and lowering of a weight of 25 kilograms to and from a height of 1.8 metres by means of a rope and pulley;

- (ii) walking continuously at a fair pace for half an hour;
 - (iii) building and removing temporary stoppings of stone, brick, sand-bags, brattice cloth or other materials, and carrying the materials required for such operations over a distance of at least ten metres;
 - (iv) removing debris in confined space, as representing the clearing of a fall of roof;
 - (v) setting timber or other roof supports;
 - (vi) carrying, pulling or pushing on a stretcher a live person or dummy body weighing 60 to 80 kilograms along the length of the gallery;
- C. Practices in Cardio Pulmonary Resuscitation and use of rescue tools: Not less than two days training which will include practice of Cardio Pulmonary Resuscitation, application of fire extinguishers, use of lifting bags, hydraulic cutters, spreaders, jacks and ring cutters.
- D. Practices in use of use of rope rescue equipment: Not less than five days training in use of rope rescue equipment by trainers recommended by the Original Equipment Manufacturers of the equipment specified under sub rule (1) of rule 131 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

[F. No. DGMS/01-6/2026/SOMA(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines